

# न्यायालय तहसीलदार सिकराय

सरकार बनाम बालूराम मिना

मु.नं. 34 /2018

निर्णय दिनांक 21.2.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अगावली ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 के तहत न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि अप्राची बालूराम रामकिशोर रामबल्लभ 5/0 दुमरनीलात पुत्र श्री जाति मिना निवासी अगावली ने ग्राम अगावली की आराजी खसरा नम्बर 528 कुल रकबा 42.39 हेक्टेयर किरम चरागाह भूमि में से 0.25 हेक्टेयर भूमि पर सम्बत् 2074 में फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्राची को एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्राची उपस्थित ~~नहीं~~ आया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे की अप्राची का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है और उसे उक्त भूमि पर से बेदखल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अप्राची को एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल कर फसल जप्त कर फसल निलामी के आदेश दिये जाते हैं तथा उस पर लगान ₹.5000 का 50 गुणा शास्ति ₹.5000/- रुपये आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को एवं बेदखली/वसूली/फसल निलामी हेतु भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राले 4 का 2017-10

पर 350/

पुस्तक संख्या 95

न्यायालय में प्रस्तुत की गई

तहसीलदार सिकराय

तहसीलदार सिकराय

सिकराय (टी.आ.)